रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 289] नई दिल्ली, सोमवार, जून 12, 1972/ज्येष्ठ 22, 1894

No. 289] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 12, 1972/JYAISTHA 22, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

CARDAMOM CONTROL

New Delhi, the 12th June 1972

S.O. 419(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 4 of the Cardamom Act, 1965 (42 of 1965), read with rules 3 and 5 of the Cardamom Rules, 1966, the Central Government hereby appoints the persons specified in the Table below to be members of the Cardamom Board and specifies that they shall hold office as members of the said Board for a

period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, that is, upto and inclusive of the 11th June, 1975. namely:—

THE TABLE

Representative of the State of Kerala

(1) Additional Director of Agriculture, Government of Kerala, Trivandrum.

Representative of the State of Tamil Nadu

(2) Joint Director of Agriculture (Commercial Crops), Office of the Director of Agriculture, Chepauk, Madras-5.

Representative of the State of Mysore

(3) Secretary to the Government, Agriculture and Forest Department, Government of Mysore, Bangalore.

Representative of the Ministry of Foreign Trade

(4) Shri N. N. Malhan, Deputy Director, Ministry of Foreign Trade, New Delhi.

Representative of the Ministry of Finance.

(5) Shri S. N. Agrawal, Under Secretary, Ministry of Finance New Delhi,

Representative of the Ministry of Agriculture.

(6) Shri T. T. Paulose, Director, Directorate of Arecanut and Spieces Development, Calicut.

Representatives of the large growers of cardamom

(7) Shri M. S. P. Rajes, Cauvery Peak P.O., Via Yercaud, Salem Distt., Tamil Nadu.

(8) Shri S. Baskar, Pampadamparai Estate Office, Cumbun P.O., Madurai Distt., Tamilnadu.

(9) Shri K. S. Scaria (Jr.), Pottamkulam, Koottikal, Mundakayam, Kerala.

Representatives of the small growers of cardamom.

(10) Shri George J. Mathew, Pottamkulam, Koottichala P.O., Kottayam Distt., Kerala State.

(11) Shri T. J. Jayaram Singh, BA., BL, Coorg Cardamom Growers' Association, *Mercara* (Coorg Distt.).

(12) Shri K. V. George, Karimattom, All Kerala Cardamom Growers Association, Vandamade P.O., Idikki District, Kerala.

Representatives of Cardamom Trade Interest

(13) Shri J. M. Gandhi, M/s. Gandhi Sons, 232, Samuel Street, *Bombay*-3.

(14) Shri S. Vadamalaimuthu, M/s. V. M. Sankaralingam Chettiar, Cardamom Merchants & Exporters, Bodinayakanur, Madurai Distt, Tamilnadu.

Representative of the Cardamom Consumer Interest.

(15) Shri M. G. Krishna Mohan, Kalpetta, Kozhikode Distt., Kerala State.

Repersentative of Other Interest of Cardamom.

(16) Shri J. Kuttiani, B.Sc., BL., Advocate, Thodupuzhu, Idikki Distt., Kerala State.

Representatives of the Labour Interest.

(17) Shri M. Muthuswamy, Joint Secretary, South Indian Plantation Workers Union, P.O. Munnar, Kerala State.

(18) Shri K. K. Devasya, Vice-President, Udunbumchola Estate Workers Union, Vandan Medu P.O., Distt. Edikki, Kerala State.

[No. F.29(1)-Plant(B)/72.]

V. S. MISRA, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

अधिसूचना

इलायची नियन्त्रण

नई दिल्ली, 12 जून, 1972

का०आ० 419(अ)—इलायची नियम, 1966 के नियम 3 तथा 5 के साथ पठित इलायची अधिनियम 1965 (1965 का 42) की धारा 4 की उपधारा (1), (3) तथा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को इलायची बोर्ड के सदस्यों के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है तथा यह विनिर्दिष्ट करती है कि वे, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात् 11 जून, 1975 तक के लिए जिसमें यह तारीख भी शामिल है, उक्त बोर्ड के सदस्यों के रूप में पद धारण करेंगे अर्थात :—

सारणी

1. अपर कृषि निदेशक, केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम ।	केरल राज्य का प्रतिनिधि
2. संयुक्त कृषि (वाणिज्यिक फसल) कृषि-निदेशक का कार्यालय, चेपाक, मद्रास—5	तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधि
3. सचिव, राज्य सरकार, कृषि तथा वन विभाग, मैसूर सरकार, बंगलौर	मैसूर राज्य का प्रतिनिधि
4. श्री एन० एन० मल्हन, उप-निदेशक, विदेश व्यापार मंत्रालय, नई दिल्ली	विदेश व्यापार मंत्रालय का प्रतिनिधि

5. श्री एम० एन० अग्रवाल, अवर सचिव, वित्त मंत्रालय नई दिल्ली ।	वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि
6. श्री टी० टी० पालोस, निदेशक, सुपारी तथा मसाला विकास निदेशालय, कालीकट ।	कृषि मंत्रालय का प्रतिनिधि
7. श्री एस० एम० पी० राजा, कावेरी पीक पो० आ०, बरास्ता येरकौड, सेलम जिला, तमिलनाडु ।	इलायची के बड़े उपजकर्ताओं के प्रतिनिधि
8. श्री एस० भास्कर, पम्पा डाम्पराय एस्टेट आफिस, कुम्बुम पो० आ०, मदुराई जिला, तमिलनाडु ।	
9. श्री के० एस० सकरिया (कनिष्ठ) पोट्टमकुलम, कुट्टीकल, मुण्डक्कयम, केरल ।	
10. श्री जार्ज जे० मैथ्यू, पोट्टमकुलम, कोट्टीचला पो० आ०, कोट्टायम जिला, केरल राज्य ।	इलायची लघु उपजकर्ताओं के प्रतिनिधि ।
11. श्री टी० जे० जयराम सिंह, बी० ए० बी० एल०, कुर्ग इलायची उपजकर्ता संघ, मेरकारा (कुर्ग जिला)	
12. श्री के० वी० जार्ज, करीमट्टम, अखिल केरल इलायची उपजकर्ता संघ, वन्दनमाडु पो० आ०, इडिक्की जिला, केरल ।	
13. श्री जे० एम० गांधी, मैसर्स गांधी सन्स, 232, सैम्युल स्ट्रीट, बम्बई–3 ।	इलायची व्यापार संबंधित प्रतिनिधि
14. श्री एम० वडमलइमुथु, मैसर्स बी० एम० शकरलिंगम, चेट्टियार, इलायची के व्यापारी तथा निर्यातक, बोदीनायकनूर, मदुराई जिला/तमिलनाडु	

15. श्री एम० जी० कृष्ण मोहन — इलायची उपभोक्ता हित के प्रतिनिधि
कलपेट्टा कोजी कोड़े जिला,
केरल राज्य ।

16. श्री जे० कुट्टियानी, बी०एस० सी० — इलायची के अन्य हितों के प्रतिनिधि
बी० एल०, एडवोकेट,
तोडुपुजु, इडिक्की जिला,
केरल राज्य ।

17. श्री एस० मुथुस्वामी, — श्रम हित के प्रतिनिधि
संयुक्त सचिव, दक्षिण
भारतीय बागन श्रमिक यूनियन
पो०आ० मुन्नार, केरल राज्य ।

18. श्री के० के० देवस्य, — श्रम हित के प्रतिनिधि
उप-अध्यक्ष,
उडुनबुचोला एस्टट
वर्कर्स यूनियन,
वन्दन मेदु पो० आ०,
जिला इडिकी, केरल राज्य

[सं० फा० 29(1)—प्लांट (बी)/72]

बी० एम० मिश्र, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972